Title of the Project:- देवास जिले में लोकवानिकी प्रबन्ध योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

Why this Project:-

निजी भू–स्वामियों तथा सामुदायिक भूमि में खड़े वनों का वैज्ञानिक प्रबन्धन करने, क्षेत्र में वनोंपज एवं वनोंषधियों का रोपण कर कृषकों को समृद्ध बनाने के लिए लोक वानिकी प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया। जिन कृषकों ने इस योजना को प्रारम्भ में अपनाया था, वे एक निश्चित समयावधि उपरांत भू–राजस्व संहिता की धारा 240–241 में शिफ्ट हो गये। अतः यह अध्ययन आवश्यक हो गया था कि लोक वानिकी प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन में क्या कमियाँ रही, इसको अपनाने वाले कृषकों को क्या लाभ एवं हानि हुई। लोक वानिकी प्रबंध योजना एवं धारा 240–241 के कारण पुनरुत्पादन एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा आदि कारणों को ज्ञात करना ताकि कमियों को दूर कर अन्य जिलों में बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। यह परियोजना फंडिंग एजेन्सी के निर्देशानुसार तैयार की गयी है।

Research Methodology & Study Design:-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/अनु.वि./लो.वा./210 भोपाल, दिनांक 24/01/2019 के अनुसार दिये गये अनुसंधान बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन कार्य पूर्ण किया गया।

- द्वितीयक साहित्य का अध्ययन एवं आँकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण कर परियोजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया।
- योजना में सम्मिलित कृषकों का प्रारंम्भिक सर्वेक्षण एवं उनके प्राकृतिक वनों के स्थल का अवलोकन किया गया।
- प्रारंभिक सर्वेक्षण कर अनुसूची तैयार करने का कार्य किया गया।
- अध्ययन क्षेत्र में लोक वानिकी प्रबन्ध योजना एवं धारा 240–241 अपनाने वाले कृषकों के चयन का कार्य किया गया।
- कुल ग्रामों एवं कृषकों में से 10 प्रतिशत नमूनों (सेम्पल) का सविचार दैव निदर्शन पद्धति से चयन किया गया।
- सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा कृषकों का साक्षात्कार लेकर अनुसूची में जानकारी एकत्र की गई।
- आँकड़ों को कम्प्यूटर में फीडकर उनका वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं विश्लेषण कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया।
- प्रबंध योजना में किसान संघ की भूमिका का अध्ययन किया गया।
- फोटोग्रॉफ तथा संरचित अनुसूची द्वारा आँकड़ों का संकलन किया गया।
- प्रबन्ध योजना के पालन में कमियाँ, समस्याएं एवं सुझाव से संबंधित आँकड़ों का संकलन किया गया।
- वित्त प्रदाता संस्था के दिये गये निर्देशानुसार आँकड़ों का विश्लेषण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

Objective of Research:-

- लोक वानिकी प्रबंध योजना एवं भू–राजस्व संहिता की धारा 240–241 के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

Activities Undertaken:-

देवास जिले की खातेगांव एवं बागलीके कृषक प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकारियों से साक्षात्कार एवं चर्चा द्वारा हितग्राहियों की समस्याएं, सुझाव, कृषक संघ तथा विभाग की भूमिका आदि से संबंधित जानकारी एकत्र करने का कार्य किया गया। इसके पश्चात् एकत्र किए गये ऑकड़ों को कम्प्यूटर में फीड, करने, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

Cost of the Project:- Rs. 10.60 Lakhs

Expected Outcome of Research:-

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. देवास जिले के भूमि स्वामियों ने अपने प्राकृतिक वनों से वृक्षों के विदोहन हेतु लोक वानिकी प्रबन्ध योजना के तहत् सम्मिलित हुए, उसमें उनको कयी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऐसा कृषकों ने साक्षात्कार दल को जानकारी दिया।
2. अन्वेषण के समय साक्षात्कार में प्राप्त जानकारी के सम्बन्ध में कुछ तथ्य तो सत्य थे वही कुछ किसानों और वनमंण्डल की सम्मिलित कमियां दृष्टिगोचर हुई। किसानों की कमी यह थी कि वृक्षों के विदोहन उपरांत जिन पौधों को रोपित करना था वे पौधे अन्वेषण दल को नही मिले। किसानों द्वारा इस संबंध में बतलाया गया कि पौधे लगाए गये थे, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे पानी की कमी एवं मवेसियों की चराई आदि से नष्ट हो गये। वन विभाग द्वारा किसानों के विदोहित काष्ठ का भुगतान कर दिया गया और दूसरी किस्त में पुनः पौधों के विदोहन की अनुमति भी दे दी गयी।
3. अन्वेषण से ज्ञात हुआ कि देवास जिले के किसान एकमत से उपजाऊ भूमि में खड़े प्राकृतिक वृक्षों का निवर्तन कर विभिन्न कारणों से खेती करने में भूमि का उपयोग करना चाहते हैं।
4. लोक वानिकी प्रबन्ध योजना के तहत् सम्मिलित भूमि स्वामी के प्राकृतिक वनों से विदोहन के लिए परिपक्व वृक्षों में से बहुत कम वृक्षों के विदोहन की अनुमति देने का प्रावधान था, जिससे किसानों की आवश्यकता पूर्ति में बाधा एवं एक मुश्त लाभ नही मिल पाता था।
5. विदोहन के लिए प्रस्तावित वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति मिलने में बहुत बिलम्ब होता था एवं हितग्राही को बार–बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे।
6. पासिंग हैमर लगाने तथा काष्ठ को डिपो तक ले जाने में अनावश्यक विलम्ब होता था।
7. काष्ठ परिवहन में अनावश्यक देरी होती थी, जिससे हितग्राही को अतिरिक्त (वाहन का भाड़ा) भुगतान करना पड़ता था।
8. काष्ठ की कीमत के भुगतान में हितग्राही को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था।
9. योजना क्षेत्र में मौजूद सागौन के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के वृक्षों जैसे साजा, सेजला एवं धावड़ा आदि की काष्ठ को डिपो में विक्रय की सुविधा नही मिलती थी, जिसके कारण हितग्राही काष्ठ को रोपण क्षेत्र से अन्य जिलों में अथवा सस्ते दामों में स्थानीय स्तर पर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। इससे किसान को लागत अधिक लगने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता।
10. धारा 240–241 के अंतर्गत वृक्षों के पातन की स्वीकृति एवं लम्बी कागजी कार्यवाही के कारण किसानों को खेती का कार्य छोड़कर कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ता है, इससे एक तो कृषि कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, दूसरी ओर परिवहन व्यय, शारीरिक, मानसिक कष्ट उठाने के बावजूद भी कटाई की अनुमति मिलने में देरी, पासिंग हैमर लगाने का इंतजार, काष्ठ को डिपो तक परिवहन करने और विक्रय के उपरांत भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता था।
11. क्षेत्र में बिचौलियों की सक्रियता से भी किसानों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा है।
12. भू–स्वामियों के परिवार की संख्या में वृद्धि, भूमि का विभाजन एवं विखंडन, क्षेत्र में बिजली, सिंचाई साधनों का विस्तार, भूमि की उर्वरता, कृषि की लागत में वृद्धि, श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि आदि कारणों से भू–स्वामी लोक वानिकी प्रबन्ध योजना के स्थान पर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 240–241 के प्रावधानों के तहत अधिक से अधिक वृक्षों की एक मुश्त कटाई करवा कर भूमि को कृषि कार्य में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति जाग्रत हुई। इसमें बिचौलियों ने भरपूर लाभ उठाया।
13. किसानों की मंशा है कि शासन उनकी भूमि के वृक्षों के निवर्तन की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाए तथा निश्चित समय–सीमा में उनके उपज की कीमत दिलाने संबंधी कानून में संशोधन करे।

14. वृक्षों के विदोहन की जटिलता दूर हो जाने पर, किसान खेती वाली भूमि के मेंड़ में वृक्ष लगाने को प्रोत्साहित होंगे।

Application of Research Findings:-

देवास जिले में लोक वानिकी प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को दूर कर किसानों की समझमें आने वाले नियमों के साथ क्रियान्वयन एवं क्रियान्वयक की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी जाय तो निश्चित ही किसानों में इस योजना की लोकप्रियता को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान इस दिशा में अग्रसर होंगे। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कर स्थल में योजना को कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है।

1. प्रबंध योजना के क्रियान्वयन हेतु लंबी एवं जटिल कागजी कार्यवाही को कम कर सरल व आसान बनाया जाय।
2. किसानों की लोकवानिकी प्रबंध योजना में स्वीकृत का समय कम किया जाय।
3. प्रबंध योजना में भूमि स्वामी के निजी क्षेत्र में खड़े सागौन एवं अन्य प्रजाति के वृक्षों में से 50 से.मी. छाती गोलाई या इससे ऊपर के वृक्षों का विदोहन कार्य भूमि स्वामी की आवश्यकतानुसार किए जाने बावत नियम सुनिश्चित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
4. भूमि स्वामी के भूमि सेविदोहन उपरांत पासिंग हैमर लगाने,काष्ठ डिपो तक परिवहन किये जाने एवं कीमत भुगतान की न्यूनतम समय–सीमा सुनिश्चित करने की अवश्यकता है।
5. भू–स्वामी द्वारा विदोहित अपनी निजी क्षेत्र की काष्ठ को पासिंग हैमर अंकित होने के बाद कटिंग चालान द्वारा शासकीय वन डिपो में जमा करवाने वाला पूर्व का नियम लागू करने की किसानों की मांग पर उचित निर्णय करने की आवश्यकता है।

7.भू–स्वामी को निजी वन से विदोहित काष्ठ कोशासकीय वन विभाग के डिपो में स्वयं विक्रय करने की कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

8. भू–स्वामी द्वारा विदोहित काष्ठ शासकीय डिपो में जमा करने के पश्चात् उसे पावती देने के उपरान्त भुगतान के लिए अधिकारियों द्वारा किसानों से किसी प्रमाण पत्र की मांग संबंधी प्रावधान को किसानों की मंशानुसार किया जाना उचित होगा।
9. राजस्व एवं वन विभाग की अधिकारिता पर कानून का सर्वग्राही बनाने की अवश्यकता है।
10. विदोहन उपरांत स्थल आधारित अभिवहन पास जारी करने कीसमय–सीमा तय होनी चाहिए।
11. संबंधित वनमंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोकवानिकी प्रबन्ध योजना में सम्मिलित प्राकतिक वन से वृक्षों के विदोहन उपरांत कृषकों को संपूर्ण राशि का तत्काल भुगतान न किया जाये, अपितु एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए संबंधित किसान के नाम से बैक में एफ डी कर वनमंडल के नियन्त्रण में रखी जानी चाहिए, जिसका भुगतान एक या दो वर्ष जो भी उचित हो, तभी दी जावे जब किसान के प्राकृतिक वन में विदोहित वृक्ष के अनुपात में रोपित पौधे जीवित हों। इससे किसान पौधों को लगाने से लेकर संरक्षित करने की जिम्मेवारी पूरी कर सकेंगे। इसी आधार पर अगले क्रम में पौधों के विदोहन की भी अनुमति देना उचित होगा।
12. भू–राजस्व संहिता की धारा 240 हो या 241, कृषक द्वारा तहसील कार्यालय में वृक्ष विदोहन के लिये आवेदन देने पर पर संबंधित उपवनमंडल कार्यालय को अभिमत के लिये भेजा जाता है एवं उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा परिक्षेत्राधिकारी से कई बिन्दुओं पर परीक्षण कराया जाता है, इस कारण अनावश्यक देरी हो जाती है। किसी कृषक की मृत्यु हो जाने पर खसरा नंबर का रकबा उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने के बाद भी अमान्य कर दिये जाने की जानकारी किसानों द्वारा दी गयी है। अतएव इस समस्या का उचित समाधान आवश्यक है।
13. भू–राजस्व संहिता की धारा 240 के तहत विदोहन हेतु कृषक द्वारा तहसील कार्यालय में आवेदन देने के पश्चात् विदोहन किये जाने वाले वृक्षों का स्वयं संज्ञान लेकर,राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के प्रतिवेदन पर वृक्ष विदोहन की स्वीकृति आदेश देना तय करने का प्रावधान किया जा सकता

है।भू–राजस्व संहिता की धारा 241 में किसान की सीमा से लगने वाली वन विभाग की सीमा को परिक्षेत्राधिकारी से जांच करवाकर अभिमत दिया जाना उचित होगा।

14. किसानों के अनुसार वृक्षों में हित वर्ष 1999 के कारण आदिवासी कृषकों को जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें कलेक्टर कार्यालय से वृक्ष विदोहन बावत् आदेश प्राप्त करने में बड़ी कठनाई का सामना करना पड़ता है। राजस्व मण्डल कार्यालय, ग्वालियर में अपील की कार्यवाही के लिए जाना पड़ता हैं और उसमें भी समय पर न्याय नही मिल पाता है। अतः इस संबंध में सामान्य वर्ग,अनुसूचित जाति के कृषकों के वृक्ष विदोहन की भांतिअनुसूचित जन–जाति के कृषकों के लिए भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इससेअनुसूचित जन–जाति वर्ग के कृषकों को फायदा हो सकेगा।

15. लोकवानिकी नियम हो या भू–राजस्व संहिताकी धारा 240–241, जिसमें भी कृषकों के वृक्षों विदोहन हो, उसमें भू–स्वामी को दो घनमीटर काष्ठ घर पर निजी उपयोग के लिये रखने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जो पूर्व में प्रचलित था जिसे वर्तमान में प्रचलन से हटा दिया गया है। इसलिये उक्त नियम को पुनः लागू किया जाना उचित होगा। इससे कृषकों की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

16. इस योजना से जुड़कर ईमानदारी से कार्यरूप में परिणत करने वाले हितग्राही को प्रोत्साहित करं सम्मानित करना चाहिये, जिससे दूसरे कृषक भी इस योजना से प्रेरित होकर जुड़ सकें।

17. किसानों के सुझाव अनुसार, कुछ कृषकों के पास निजी क्षेत्र में जलाऊ जैसे सागौन एवं अन्य प्रजाति के वृक्ष (बिगड़े वन के रूप में) खड़े है, जिनका न तो कोई उपयोग है न ही उनका कोई भविष्य। उन क्षेत्रों के लिये ऐसा नियम होना चाहिए कि निश्शेष पातन (क्लियर फेलिंग) किया जाकर कपिस से प्राप्त पौधे, पुनरुत्पादन द्वारा प्राप्त पौधे एव गैप (खाली जगह) में पौधा रोपण से वापस वन क्षेत्र तैयार किया जा सके।

18. वन क्षेत्र एवं कृषक के अधिकार क्षेत्र वाले रोपण में पारदर्शिता पूर्ण निर्णय कर किसानों का सहयोग करने की आवश्यकता है।

19. लोक वानिकी प्रबन्ध योजना एवं भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 240–241 में किसानों की निजी भूमि में स्थित प्राकृतिक वनों से किसानों, पर्यावरण, मृदा अपरदन, जल संरक्षण जैसे लाभों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता, न्याय एवं वर्तमान आवश्यक मानवीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमों में प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे नियम स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सर्वग्राही हो।

20. मालवा प्रान्त की भू–संरचना एवं जलवायु के अनुसार निजी प्राकृतिक वनों से वृक्षों के पातन हेतु नियमों का निर्माण किया जाना उचित होगा। देवास जिले में अध्ययन के दौरान पाया गया कि वर्षों से कृषकों की उपजाऊ भूमि में खड़े प्राकृतिक वृक्ष, वर्तमान स्थिति के अनुसार लाभ नही दे रहे हैं। शासकीय नियमों में बाध्यता के कारण कृषक ऐसी भूमि से वृक्षों को अलग कर खेती के लिए प्रयुक्त करने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए कि परिवार की संख्या में वृद्धि, सिंचाई के साधनों का प्रसार, मंहगी कृषि प्रक्रिया द्वारा अन्न का उत्पादन प्रमुख है। अनुचित तरीके से नियमों से छिपकर खेत से प्राकृतिक वृक्षों के पातन से उनकी उपज का उचित लाभ संबंधित भू–स्वामी को न मिलकर मध्यस्थ लोगों की जेब में जा रहा है। इसी कारण कृषकों में वृक्षारोपण के प्रति नकारात्मक सोच को प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः नियमों का सरलीकरण करते हुए ऐसे प्रावधान किया जाय कि भू–स्वामी उर्वर भूमि से क्रमानुसार वृक्षों को तभी अलग करें, जब वे उक्त भूमि के मेंड़ में एक निश्चित अंतराल में तथा निश्चित वृक्षों का रोपण कर ले तभी उसे उक्त खेत को कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त कर सकेगा। इससे पर्यावरण को भी अनुकूल बनाए रखा जा सकेगा, फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा।

21. कृषकों द्वारा खेत के मेंड़ में वृक्षों को रोपित करने के उपरांत एक साधारण प्रक्रिया के तहत विदोहित करने एवं उसके निवर्तन का प्रावधान किया जाय, जिससे भू–स्वामी को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े तथा उसे दीर्घकाल में लाभ की प्रत्याशा बनी रहे।

22. धारा 240–241 में दिए गये वर्तमान प्रावधानों में प्राकृतिक वनों से एक साथ निर्धारित माप के सभी वृक्षों की कटाई की अनुमति देने के स्थान पर एक निश्चित प्रतिशत के वृक्षों को, निश्चित अंतराल में कटाई की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रावधान का समावेश करने की आवश्यकता है।

तहसील–कन्नौद, ग्राम–सुरानी में किसानों के प्राकृतिक निजी वन में धारा 240–241 के अंतर्गत काटी गई आबादी का स्थलीय निरीक्षण

तहसील–कन्नौद, ग्राम–सुरानी में धारा 240–241 के अंतर्गत काटे गए सागौन वृक्ष के ठूँठ का अवलोकन

तहसील–कन्नौद, ग्राम–सुरानी में धारा 240–241 के अंतर्गत काटे गए सागौन वृक्षों का मापन कार्य

तहसील–कन्नौद, ग्राम–बुरूट में धारा 240–241 के अंतर्गत काटे गए सागौन पेड़ों के ठूँठ, भूमि से निकालकर मेढ़ के किनारे पाए जाने का दृश्य

तहसील–कन्नौद, ग्राम–बुरूट में धारा 240–241 के अंतर्गत काटे गए पेड़ों के ठूँठ को निकालकर भूमि को कृषि कार्य में परिवर्तित करने का दृश्य